(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग–**III**, खंड–4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

21 अप्रैल 2009

जी. संख्या 67 **नई दिल्ली**,

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) द्वारा आबंटित गांधीधाम टाऊनशिप भूखंडों के पट्टा किरायों की वैधता को विस्तारित करता है।

(अरविन्द कुमार)
सदस्य

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/9/2006–केपीटी

कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) ------ आवेदक

आदेश

(मार्च, 2009 के 27वें दिन पारित)

कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) द्वारा आबंटित गांधीधामी टाउनशिप भूखंडों के पट्टा किराये इस प्राधिकरण द्वारा 22 अप्रैल, 2008 को अस्थाई रूप से संशोधित किए गए थे। उक्त आदेश राजपत्र सं. 100 द्वारा 16 जून 2008 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पट्टा किराये पांच वर्षों की वैधता अवधि अर्थात 31 दिसम्बर, 2008 तक के साथ 1 जनवरी 2004 से पूर्वव्यापी प्रभाव से कार्यान्वयन–योग्य थे।

2. केपीटी ने अपने पत्र दिनांक 13 मार्च 2009 द्वारा इस प्राधिकरण से 22 अप्रैल, 2008 को पारित आदेश की वैधता छह महीनों के लिए यह कहते हुए बढ़ाने का अनुरोध किया है कि उसने गांधीधाम टाऊनशिप भूखंड के पट्टा किरायों के संशोधन कार्य शुरू कर चुका है।

3. चूंकि केपीटी द्वारा आबंटित भूखंडों के मौजूदा पट्टा किरायों की वैधता 31 दिसम्बर, 2008 को समाप्त हो चुकी है, इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि मौजूदा पट्टा किरायों की वैधता को उस तारीख से विस्तारित किया जाए। महापत्तनों की भूमि नीति पर फरवरी/मार्च 2004 में सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देश विनिर्दिष्ट करते हैं कि पट्टा किरायों में 2 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि तब तक की जाए जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें संशोधित नहीं किया जाता है। अप्रैल 2008 में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित आदेश में भी सरकारी दिशा–निर्देशों के अनुसार यह शर्त निर्धारित की गई है। पट्टा किरायों की मौजूदा अनुसूची में पट्टा किरायों में 2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि पहले से ही दी गई है जब तक दरें इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं की जाती हैं।

4. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से, और समग्र विचार–विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण कांडला पत्तन न्यास द्वारा आबंटित भूखंड के लिए मौजूदा पट्टा किरायों की वैधता को 1 जनवरी 2009 से छह माह की अवधि के लिए अथवा केपीटी द्वारा दाखिल (किए जाने वाले) प्रशुल्क प्रस्ताव पर संशोधित पट्टा किरायों की अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तारित करता है। केपीटी को सलाह दी जाती है कि भारत के राजपत्र में इस प्राधिकरण के आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों के भीतर पट्टा किरायों के संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव दाखिल करे।

(अरविन्द कुमार)
सदस्य